संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्रमांक 9 / नर्सिंग / सेल–3 / 2018 / भोपाल दिनांक / 02 / 2018

प्रति,

समस्त,
क्षैत्रीय संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश।

विषय :– परीविक्षा अवधि समाप्ति के संबंध में

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में संज्ञान में आया है कि नर्सिंग संवर्ग के कार्यरत कर्मचारियों की परीविक्षा अवधि समाप्ति की कार्यवाही कई वर्षो तक नहीं की जाती है जिसके कारण कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार स्टाफ नर्सेस की परीविक्षा अवधि समाप्ति 02 वर्ष उपरांत की जानी है।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार स्टाफ नर्सेस की परीविक्षा अवधि समाप्ति की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें, एवं की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

//
(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 9 / नर्सिंग / सेल 3 / 2018 / 241 भोपाल दिनांक 8/03/2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. **समस्त,** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
2. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश।
3. प्रभारी एम.आई.एस. की ओर वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने हेतु।

संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

E:\ggg\letter.docxE:\ggg\letter.docx